जनगणना 2027

मकान सूचीकरण की गणना का कार्य 1 मई से

जनगणना के लिए 1420 प्रगणक एवं 238 सुपरवाईजर नियुक्त, फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 1 अप्रैल से

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 31 मार्च। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में जनगणना 2027 की तैयारियां जारी है, जनगणना निदेशालय के अनुसार जनगणना का कार्य दो चरणो में संपन्न होगा। प्रथम चरण में 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एव मकानों की गणना का कार्य पूर्ण किया जायेगा तथा द्वितीय चरण का कार्य फरवरी 2027 में संपन्न कराया जायेगा। जिले में जनगणना के लिए रिर्जव सहित 1420 प्रगणक तथा 238 सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है।

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री वर्मा ने बताया कि जनगणना 2027 में स्व-गणना पोर्टल (एसई पोर्टल) एवं मोबाइल एप (एचएलओ एप) के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जायेगा। इसी क्रम में मकान सूचीकरण ब्लॉक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब पोर्टल के माध्यम से मकान सूचीकरण ब्लॉक का सृजन किया गया है। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (सीएमएमएस) वेब पोर्टल के माध्यम से मैनेजमेंट एवं मॉनिटरिंग की जाएगी। जनगणना 2027 में खास बात यह है कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। जनगणना प्रक्रिया में नागरिक स्वयं स्व-गणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना के दौरान प्रगणक के घर आने पर उन्हें यह जानकारी देनी होगी तब इस जानकारी को डिजिटल संकलित करेंगे।

जिला योजना अधिकारी गिर्राज शर्मा ने बताया कि कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में जनगणना के लिए कुल 1658 प्रगणक एवं सुपरवाईजर नियुक्त किये गये है। इसके तहत 1282 प्रगणक बनाये गये है और 138 प्रगणक रिर्जव में रखे गये है। इसी प्रकार 212 सुपरवाईजर को दायित्व सौपा गया है और 26 सुपरवाईजर रिर्जव में रखे गये है। इस प्रकार रिर्जव सहित कुल 1420 प्रगणक और 238 सुपरवाईजर बनाये गये है।

उन्होंने जानकारी दी कि श्योपुर तहसील अंतर्गत रिर्जव सहित 357 प्रगणक तथा 60 सुपरवाईजर, नगरपालिका श्योपुर क्षेत्र अंतर्गत 154 प्रगणक एवं 27 सुपरवाईजर, बडौदा तहसील अंतर्गत 179 प्रगणक एवं 30 सुपरवाईजर, नगरीय निकाय बडौदा अंतर्गत 42 प्रगणक एवं 07 सुपरवाईजर, कराहल तहसील अंतर्गत 235 प्रगणक एवं 35 सुपरवाईजर, तहसील वीरपुर अंतर्गत 153 प्रगणक एवं 27 सुपरवाईजर, तहसील विजयपुर अंतर्गत 261 प्रगणक एवं 44 सुपरवाईजर तथा नगरीय निकाय विजयपुर अंतर्गत 39 प्रगणक एवं 8 सुपरवाईजर बनाये गये है। इनके द्वारा प्रथम चरण में 01 मई से 30 मई की अवधि में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना का कार्य संपन्न किया जायेगा।

फील्ड ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 01 अप्रैल से

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी श्री वर्मा द्वारा श्योपुर जिले में जनगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनगणना चार्ज कार्यालय वार 26 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किये गये है। यह ट्रेनर प्रगणक एवं पर्यवेक्षको को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। फील्ड ट्रेनर के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण 01 अप्रैल से 03 अप्रैल तक जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया है। फील्ड ट्रेनर को प्रात: 10 बजे से सांय 05 बजे तक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

जनगणना में 33 बिन्दुओं पर संकलित की जायेगी जानकारी

जनगणना अधिकारियों द्वारा मकान सूचीकरण के दौरान नागरिकों से 33 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना अधिकारियों द्वारा मकान सूचीकरण के दौरान भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान की दीवार, छत और फर्श में प्रयुक्त सामग्री, मकान का उपयोग और स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही परिवार, परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग, सामाजिक वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य) से संबंधित विवरण दर्ज किया जाएगा। जनगणना के दौरान पेयजल का मुख्य स्रोत, प्रकाश का स्रोत, शौचालय की उपलब्धता और उसका प्रकार, गंदे पानी की निकासी, रसोईघर एवं उसमें प्रयुक्त ईंधन की जानकारी भी ली जाएगी।

इसके अलावा घर में स्नानघर, एलपीजी, पीएनजी कनेक्शन, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, मोपेड, कार, जीप या वैन जैसी सुविधाओं और वाहनों की जानकारी भी शामिल है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य खाद्यान्न, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या, परिवार के मुखिया का व्यवसाय तथा मकान के स्वामित्व की स्थिति से जुड़ी जानकारी भी जनगणना में दर्ज की जाएगी।

गोपनीय रहेंगी व्यक्तिगत जानकारी

राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रहेंगी और किसी भी न्यायालय, जांच या अन्य प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकेंगी। डिजिटल माध्यम से जनगणना 2027 में यह समस्त जानकारी डिजिटल माध्यम से मोबाइल एप और पोर्टल के जरिए एकत्र की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जनगणना कार्य के दौरान जनगणना अधिकारियों को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करें, ताकि जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें।

एक नजर में

स्कूल चलें हम अभियान अंतर्गत कार्यक्रम 1 अप्रैल को

श्योपुर, 31 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में स्कूल चले हम अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम 01 अप्रैल को प्रात: 9.30 बजे से सांदीपनि विद्यालय श्योपुर में आयोजित किया जायेगा। प्राचार्य अशोक खंडेलवाल ने बताया कि स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ 01 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रात: 10 बजे किया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय में विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जायेगा तथा पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की जायेगी।

सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश की तिथि बढी

श्योपुर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में सांदीपनि विद्यालय श्योपुर में नवीन शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए शासन के निर्देशानुसार प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विद्यालय के प्राचार्य अशोक खंडेलवाल ने बताया कि कक्षा 1 व 6 के लिए प्रवेश हेतु फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 मार्च से बढाकर अब 06 अप्रैल 2026 की गई है। सांदीपनि विद्यालय में प्रवेश के लिए अन्य शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इच्छुक अभिभावक विद्यालय में प्रवेश संबंधित जानकारी के लिए विद्यायल समिति से संपर्क कर सकते है।

तहसीलदार निलंबित

श्योपुर। चंबल संभागायुक्त सुरेश कुमार द्वारा तहसीलदार विजयपुर श्रीमती अमिता सिंह तोमर को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के प्रतिवेदन पर कमिश्नर चंबल संभाग द्वारा निलंबित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार विजयपुर श्रीमती अमिता सिंह तोमर के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण अन्वेषणाधीन होने और 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के चलते निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।

रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही करें : सीएस

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 31 मार्च। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने चंबल संभाग के

मुख्य सचिव ने चंबल संभाग के कलेक्टर-एसपी को वीसी में दिए निर्देश

कलेक्टर्स एवं एसपी के साथ आयोजित वीसी के दौरान निर्देश दिये कि श्योपुर, भिण्ड एवं मुरैना जिले में रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही की जायें। उन्होंने कहा कि चंबल एवं अन्य नदियों से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन पर पूर्णतया रोक लगाई जाये तथा अवैध उत्खनन करने वालों पर कडी कानूनी कार्यवाही की जाये, इसके लिए संबंधित जिलो के कलेक्टर एवं एसपी आवश्यक कदम उठाये।

वीसी के दौरान एनआईसी कक्ष श्योपुर में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, डीएफओ सामान्य केएस रंधा, माइनिंग आफिसर राजेश गंगेले आदि अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि एनजीटी के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायें तथा नदियों से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जायें। रेत के अवैध परिवहन और भण्डारण पर भी कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। नदियों के आसपास जहां भी डम्प कर रखी गई हो वहा रेत का विनिष्टीकरण किया जायें तथा राजस्व एवं माईनिंग विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ ऐसे क्षेत्रो की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाये।

वीसी के उपरांत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिले में रेत के अवैध उत्खनन को पूर्ण तरीके से रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें, अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण पर कडी कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। चंबल एवं पार्वती सहित अन्य नदियों पर निगरानी बढाई जायें, रेत का अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

भावांतर योजना में सरसों की खरीद 1 से

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 31 मार्च। शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर भारत सरकार की डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) अंतर्गत सरसों फसल

1890 किसानों ने कराया पंजीयन

विक्रय की अवधि 01 अप्रैल से 30 मई तक नियत की गई है। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन में उक्त योजना के तहत जिले की अधिसूचित मंडियों में 01 अप्रैल से भावांतर योजना के तहत सरसों का विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिलेगा।

भावांतर भुगतान योजना में सरसों फसल की खरीदी 01 अप्रैल से 30 मई 2026 के मध्य जिले की अधिसूचित मंडियों श्योपुर, बडौदा, विजयपुर एवं कराहल में की जायेगी। योजनांतर्गत प्रथम दो सप्ताह में विक्रय के लिए मॉडल रेट का निर्धारण, सीजन के प्रथम 14 दिवस की अवधि में प्रदेश की समस्त मण्डियों में सरसों के विक्रय मूल्य का औसत मानकर निर्धारित किया जायेगा।

प्रतिदिन का मॉडल रेट मध्यरात्रि 12 बजे से ई-मंडी पोर्टल पर प्रदार्शित किया जायेगा। अधिसूचित मंडियों में (एफएक्यू मानक के अनुरूप) का बिक्री मूल्य एमएसपी से कम हो, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औसत थोक मूल्य (मॉडल प्राइस) से अधिक हो, तो किसान को एमएसपी और वास्तविक बिक्री के अंतर की राशि प्रदाय की जाएगी।

किसानों को भावांतर भुगतान की राशि डीबीटी के माध्यम से मंडी बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाएगा। सरसों फसल का एमएसपी 6200 रूपये प्रति क्विंटल है। जिले में 1890 किसानों द्वारा भावांतर योजना के तहत सरसो फसल के विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है।

2 हितग्राहियों को मिलेगा सम्बल योजना का लाभ

नवभारत न्यूज

श्योपुर, 31 मार्च। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कई आवेदनों का मौके

जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित

पर ही निराकरण किया गया तथा शासन की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को तत्काल लाभान्वित करने की कार्यवाही की गई। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कलेक्टर संजय जैन, तहसीलदार श्रीमती मनीषा मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई के दौरान कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए।

2 हितग्राहियों को मिलेगा संबल योजना का लाभ : अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय द्वारा जनसुनवाई के मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने संबंधी 2 आवेदनों का निराकरण करते हुए हितग्राहियों को अवगत कराया गया कि उनके प्रकरणों में ईपीओ जारी हो चुका है तथा शीघ्र ही बैंक खातो के माध्यम से राशि प्राप्त होगी। इलियास खान निवासी ग्राम हसनपुर हवेली द्वारा अपने पुत्र स्व. श्री शादाब की मृत्यु पर तथा बबलू आदिवासी निवासी ग्राम राडेप द्वारा अपनी पत्नि स्व. श्रीमती ममता आदिवासी की सामान्य मृत्यु पर अनुग्रह राशि प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये। आवेदनो के परीक्षण उपरांत संबंधित आवेदको को अवगत कराया कि उनके प्रकरणों में दो-दो लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत हो गई है तथा ईपीओ जारी हो गये है, उक्त दोनो हितग्राहियों को डीबीटी के माध्यम से राशि प्राप्त होगी।

भूमि पर कब्जा दिलाने के निर्देश

अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय द्वारा जनसुनवाई के दौरान बडौदा निवासी महिला श्रीमती रोशन बाई पत्नि स्व विष्णु द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार बडौदा सुरेश राठौर को निर्देश दिये कि महिला को उसके हिस्से की जमीन पर कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जायें। महिला ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है तथा तीन छोटे बच्चे है, जिनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। उसने बताया कि उसके जेठ द्वारा शामिलात खाते की भूमि में शामिल उनके हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। इस मामले में तहसीलदार को कब्जा दिलाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन की खरीदी 15 अप्रैल से शुरू होगी

नवभारत न्यूज

मुरैना, 31 मार्च। मप्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं की खरीदी को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में गेहूँ की खरीदी का कार्य 10 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के शेष संभागों में उपार्जन कार्य 15 अप्रैल 2026 से शुरू होगा।

स्मार्ट सिटी ने देश को बदहाल किया : यादव

ग्वालियर 31 मार्च। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर केवल कागजों में विकास दिखाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत पूरी तरह इसके विपरीत है। यादव ने कहा कि ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

आम सूचना

श्री कमलेश पुत्र श्री दिनेश सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति, स्थित सुरेन्द्र नगर सिटी, ग्राम शिकारपुर, मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिक निगम मुरैना वार्ड क्र.21 गांधी वार्ड में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.206/1 एवं 206/2 (नया 206/1/12, 206/2) ग्राम शिकारपुर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में भूमि मुन्नी देवी, पश्चिम में-भूमि मास्टर, उत्तर में-रास्ता 20 फुट चौड़ा एवं दक्षिण में-भूमि यादव है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री परसोत्तम जाटव, संतोषी एवं हाकिम सिंह पुत्रगण श्री दौलतिया के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री परसोत्तम जाटव पुत्र श्री दौलतिया द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री कमलेश पुत्र श्री दिनेश सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी25792024ए1992095 दिनांक 05.08.2024 से विक्रय की गई थी। श्री कमलेश द्वारा उक्त सम्पति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में वन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हित निहित होने अथवा किसी प्रकार की आपत्ति होने पर मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि समाप्त होने उपरांत वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्यो. भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री वीरेन्द्र राठौर पुत्र श्री श्रीराम राठौर के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड, स्थित ग्रामबड़ोखर, प.ह.नं.118, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.02 (महाकाल वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.1231/1, 1232/1 एवं 1255/1 ग्राम बड़ोखर का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 1018.5 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है:- पूर्व में भूमि गौड़, पश्चिम में नरूआ रोड, उत्तर में भूखण्ड सुरेश राठौर एवं दक्षिण में-सम्पत्ति स्वामी है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री बाबूलाल, श्री रमेश, श्री लाखन पुत्रगण श्री कृपाराम, श्री अमृतलाल, श्री जगन्नाथ एवं श्री बेताल पुत्रगण श्री राम के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री बेताल सिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री वीरेन्द्र राठौर पुत्र श्री श्रीराम राठौर को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792017ए1471395 दिनांक 16.08.2017 से विक्रय की गई। श्री वीरेन्द्र राठौर द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान आदित्य बिड़ला हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांकों के अन्य सहस्वामियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्यो. भवन क्र.52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
मो.नं. 98276-72710

BAJAJ FINANCE

सोने के गहनों की नीलामी के लिए समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना
बजाज फाईनान्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः मुंबई - पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे - 411035

BFL सभी ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित करता है कि गोल्ड लोन लेते समय ऋणी ने बतौर सेक्युरिटी अपने लोन खाते में सोने के गहने गिरवी रखे और बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जो ऋणी लोन की राशि चुकाने या आवश्यक मार्जिन देने में विफल रहे उनके गहने 'जहां है जैसा है और जो है जैसा है' आधार पर नीलाम किए जाएंगे। निविदा करने वालों से अनुरोध है कि नीचे दी गई शर्तों का पालन करें:

(क) क्यूआर कोड स्कैन कर सार्वजनिक सूचना (लोन, गहनों का सकल वजन, स्थान और नीलामी की तिथि) की सम्पूर्ण जानकारी देखें।
(ख) सार्वजनिक नीलामी से संबंधित निविदा के सभी नियम और शर्तें ("टी एण्ड सी") वेबलिंक http://172.30.1.235:3000/?WOUB2QG9WU के माध्यम से पढ़ें;
(ग) नियम और शर्तें समझ लें और उसके बाद ही नीलामी की तिथि या उससे पहले बतौर अग्रिम जमा राशि रु.25,000 फंड ट्रांसफर (एनईएफटी/आरटीजीएस/बजाज गोल्ड ऑक्शन ऐप) कर दें;
(घ) नीलामी के स्थान पर सुबह 10 बजे तक व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज करें; तथा
(ङ) नीलामी के स्थान पर अपना पहचान और पते का वैध प्रमाण लेकर आएं।
(च) नीलामी की दिन में दोपहर 12 बजे के बाद नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(छ) शाखा प्रबंधक/नीलामीकर्ता को बोली लगाने वालों की भागीदारी स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि वे निर्धारित समय सीमा में भाग नहीं लेते हैं, चाहे वे अग्रिम राशि जमा राशि (ईएमडी) का भुगतान कर चुके हो।

TQRCG
स्कैन करें

नीलामी के स्थान और तिथि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो उसकी सूचना नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित की जाएगी। आपका निविदा करना उपरोक्त शर्तों पर सहमत होना माना जाएगा। यदि सार्वजनिक नीलामी से बिक्री निलंबित/निरस्त होती है तो बीएफएल ऋणी(ऋणियों) के कहने पर निजी तौर पर गहनों की बिक्री करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे इस ईमेल आईडी पर संपर्क करे - gold.auction@bajajfinserv.in

(11-05-26) **आस्था - कन्नौद रोड**; POX6GOL16830427, 17300659, 17367749. **बैतूल - शर्मा कॉम्प्लेक्स**; PCA4GOL16773604, 17295519, 17290951. **भिण्ड - ग्वालियर रोड**; POZ5GOL16952971, 17292744. **भोपाल - इमामी गेट**; PF46GOL17301191. (12-05-26) **भोपाल - इंद्रपुरी**; PF49GOL15897350, 16992107. **भोपाल - मध्य प्रदेश नगर**; PCA5GOL17350799. **ब्यावरा - ओल्ड एबी रोड**; PMN3GOL16899175, 17346006. **बीना - इटावा स्टेशन रोड**; PCA6GOL16934186, 17309367, 17313378. (13-05-26) **छिंदवाड़ा - परासिया रोड**; PEQ1GOL16937952, 17038872, 17244826. **देवास - एबी रोड**; PGG2GOL16935189, 17071214, 17112376, 17109300. **गंज बसोदा - मेन रोड**; PO2WGOL17219928. **गुना - एबी रोड**; PEH2GOL16995455, 17047137, 17063220, 17071125, 17090979, 17182044, 17267651, 17345584. (14-05-26) **ग्वालियर - सिटी सेंटर**; PCA7GOL16834603, 16926610, 17156909, 17179009. **ग्वालियर - गोले का मंदिर**; PJD1GOL16787808, 16786933, 16883785, 17087002, 17372445. **ग्वालियर - मुरार**; PHF9GOL17217248. **ग्वालियर - नया बाज़ार**; PF25GOL16926921, 16930230, 16948533, 17324059. **ग्वालियर - विनय नगर**; PEF2GOL16976252, 17064148, 17206877, 17271182. (15-05-26): **हरदा - बाफना टावर**; PCA8GOL17265771. **होशंगाबाद - मीनाक्षी चौक**; PCA9GOL14377792, 15781880, 15847333, 16882275, 17084144, 17107363, 17366280. **इंदौर - विजय नगर**; PGJ9GOL16773837, 16950156, 17246763. **इटारसी - सराफा बाज़ार**; PO3WGOL17089066, 17106732. **जबलपुर - दीनदयाल चौक**; PEH4GOL16827774, 16828403, 16852387, 16995094, 17345013. (18-05-26) **जबलपुर - राइट टाउन**; PG03GOL16776855, 16900001. **खंडवा - शिवाजी चौक**; PCP1GOL17129161. **खरगोन - जवाहर मार्ग**; PJC9GOL17002772. **मुरैना - शिवनगर**; PJC8GOL16926991, 17098272, 17178289. **पोरसा - BGL**; POA4GOL17223572, 17323427. (19-05-26) **नरसिंहपुर - BGL**; PNT1GOL17048156, 17133284, 17309685, 17368218, 17368998. **रीवा - BGL**; PNR9GOL16824748, 17240440. **सतना - रीवा रोड**; PCP2GOL17273532. **शहडोल - BGL**; PNT3GOL16832024. (20-05-26) **श्योपुर - शिवपुरी रोड**; PLC3GOL15965524, 16995242, 16999684. **शिवपुरी - एबी रोड**; PEH3GOL17090624, 17089697. **शुजालपुर - मंडी**; PPG5GOL16931825. **उज्जैन - फ्रीगंज**; PCP4GOL17314981, 17343257.

बजाज फाईनान्स लिमिटेड